भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 874

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं

874. श्री अरविंद गणपत सावंत:
श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:
श्री श्रीरंग चंदू बारणे:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लाभार्थ कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र में उक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी थी;

(ग) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उक्त योजनाओं के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केंद्र सरकार महाराष्ट्र और खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश में महिला सशक्तीकरण के लिए कोई कार्यक्रम चला रही है ओर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): बेहतर कार्यान्वयन और कुशल निगरानी के लिए मंत्रालय की सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को दो घटकों, अर्थात (1) देश में पोषण संकेतकों में सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 और (2) महिलाओं की संरक्षा, संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति में बांटा गया है। इन योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

(i) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0): इस कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को 3 प्राथमिक घटकों: (i) 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों (14-18 वर्ष) के लिए पोषण सहायता (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष] और (iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे में पुनर्गठित किया गया है।

(ii) मिशन शक्ति: मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए दो घटक क्रमश: **'संबल'** और **'सामर्थ्य'** शामिल हैं।

'संबल' घटक के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं शामिल की गई हैं: **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)** - निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहयोग और सहायता प्रदान करते हैं; **महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल)-** टोल-फ्री टेलीफोनिक शॉर्ट कोड 181 पर आपातकालीन/गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली जिसे ईआरएसएस (112) और अन्य मौजूदा हेल्पलाइन/संस्थानों के साथ एकीकृत किया जा रहा है; **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)-** जीवन चक्र निरंतरता पर घटते बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) और बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है; **नारी अदालत-** महिलाओं को सशक्त बनाने और न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक पहल, वैकल्पिक विवाद समाधान, शिकायत निवारण, परामर्श, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने, दबाव समूह कार्यनीति, बातचीत, मध्यस्थता और सुलह जैसी सेवाएं प्रदान करती है।

'सामर्थ्य' घटक के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं को समाहित किया गया है: **प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (पीएमएमवीवाई)-** एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना जिसके तहत पहले बच्चे और दूसरी बालिका के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड में नकद प्रोत्साहन; **उज्ज्वला, स्वाधार गृह (नया नाम शक्ति सदन)-** तस्करी की गई महिलाओं सहित संकट की स्थिति में महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह; **कामकाजी महिला छात्रावास (नया नाम सखी निवास)-** शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हों, कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना; **राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण केंद्र (एनएचईडब्ल्यू)-** राष्ट्रीय स्तर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण की सुविधा प्रदान करना और **राष्ट्रीय क्रेच योजना (नया नाम पालना)** - का उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच की सुविधा प्रदान करके अर्थव्यवस्था में महिला कार्यबल की भागीदारी को बढ़ाना है।

महाराष्ट्र में मंत्रालय की उपर्युक्त योजनाओं के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या का विवरण **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मंत्रालय की उपर्युक्त योजनाओं के तहत आवंटित/जारी और उपयोग की गई निधि का विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-IIक** और **अनुलग्नक-IIख** में संलग्न है।

*****

अनुलग्नक-I

26 जुलाई 2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 874 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

महाराष्ट्र में मंत्रालय की योजनाओं के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.	मिशन का नाम	योजना का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1.	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0	आंगनवाड़ी सेवा योजना	658447*
2.	शक्ति	क. वन स्टॉप सेंटर	22170
		ख. महिला हेल्पलाइन	14209
		ग. प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना	1453338
		घ. शक्ति सदन	1590
		ङ. सखी निवास	4199

*गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताएं

अनुलग्नक -IIक

26 जुलाई 2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 874 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में मंत्रालय की योजनाओं के तहत आवंटित/जारी और उपयोग की गई निधि

(लाख रुपये)

क्र.सं..	मिशन का नाम	योजना का नाम	वित्त वर्ष 2021-22 हेतु जारी/प्रयुक्त निधि		वित्त वर्ष 2022-23 हेतु जारी/प्रयुक्त निधि		वित्त वर्ष 2023-24 हेतु जारी/प्रयुक्त निधि	
			जारी	प्रयुक्त	जारी	प्रयुक्त	जारी	प्रयुक्त
1.	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0	क. आंगनवाड़ी सेवा योजना	171338.93	160800.73	162594.23	157386.37	152543.02	**
		ख. पोषण अभियान	0	-	82.95	-	15744.00	**
2.	शक्ति	क. वन स्टॉप सेंटर	561.35	***	69.37	325.91	1539.69	1239.09
		ख. महिला हेल्पलाइन	0	0	0	0	0	0
		ग. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	122.68	-	0	-	0	**
		घ. प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना	9950	14902*	24083	25010*	0.00	4474*
		ङ. सखी निवास	0	0	0	0	0	0
		च. शक्ति सदन	0	0	0	0	338.19	0***
		छ. पालना	0	-	0	-	232.15	-
		ज. राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण केंद्र	-	-	0	-	921.66	**

* इसमें पिछले वर्षों का अव्ययित शेष शामिल है

** उपयोग प्रमाणपत्र देय नहीं

***उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ

अनुलग्नक -IIख

26 जुलाई 2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 874 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में मंत्रालय की योजनाओं के तहत आवंटित/जारी और उपयोग की गई निधि

(लाख रुपये)

क्र.सं..	मिशन का नाम	योजना का नाम	वित्त वर्ष 2021-22 हेतु जारी/प्रयुक्त निधि		वित्त वर्ष 2022-23 हेतु जारी/प्रयुक्त निधि		वित्त वर्ष 2023-24 हेतु जारी/प्रयुक्त निधि	
			जारी	प्रयुक्त	जारी	प्रयुक्त	जारी	प्रयुक्त
1.	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0	क. आंगनवाड़ी सेवा योजना	108546.91	105582.95	98973.29	101683.24	70568.20	**
		ख. पोषण अभियान	0	-	2183.79	-	4845.0	**
2.	शक्ति	क. वन स्टॉप सेंटर	921.41	502.65	261.55	328.46	820.48	1120.32
		ख. महिला हेल्पलाइन	58.81	68.29	54.09	58.81	38.31	***
		ग. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	839.19	-	570	-	1368	**
		घ. प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना	13029	10219	20402	27898*	10552	9527
		ङ. सखी निवास	191.19	0***	0	0	0	0
		च. शक्ति सदन	74.35	74.35	23.17	23.17	341.51	0***
		छ. पालना	0	-	0	-	0	**
		ज. राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण केंद्र	-	-	0	-	495.53	**

* इसमें पिछले वर्षों का अव्ययित शेष शामिल है

** उपयोग प्रमाणपत्र देय नहीं

***उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ

*****